

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प.15(46)ज0सं0/2016

जयपुर दिनांक : 22.09.2016


-: आदेश :-

राजस्थान अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा), नियम 1954 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर जल संसाधन अभियांत्रिकी सेवा के अति० मुख्य अभियंता पद की वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित अधीक्षण अभियंताओं को वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर अति० मुख्य अभियंता पद पर पदोन्नत किये जाने के एतद्वारा आदेश जारी किये जाते हैं :-

क.सं.	नाम अधिकारी	पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्ति की दिनांक
1	श्री अशोक कुमार बाबेल	01.04.2016
2	श्री चोधमल चौधरी	01.04.2016
3	श्री रिडमल सिंह भाकर (से.नि.)	01.04.2016
4	श्री मनसूख राम डूडी	01.04.2016
5	श्री गिरीश लोढा	01.04.2016
6	श्री कृष्ण लाल जाखड़	01.04.2016
7	श्री के०डी० सान्दू	01.04.2016
8	श्री राजीव चौधरी	01.04.2016

श्री अनिल कुमार चौबीसा के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषानुसार इनकी पदोन्नति का चयन परिणाम बन्द लिफाफे में रखा गया है।

आज्ञा से,


(बिजेन्द्र कुमार अग्रवाल)
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा० मंत्री, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राज० जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति सभी संबंधित कार्यालयों एवं व्यक्तियों को प्रेषित करावें तथा विभाग वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव